

ब्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ब्यालियरु (म.प्र.)

पुस्तकरण क्रमांक-

१२८१८ निगरानी - ५७५८/२०१८/मुख्यमंत्री/३२८

ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री सुगनलाल जाति
तमोली, निवासी- नगर पालिका के पास,
सुनहरा रोड, सबलगढ़, जिला मुरैना (म.प्र.)

.....निगरानीकर्ता

बलाण

म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार, सबलगढ़,
जिला कुरैना (म.प्र.)

पत्यर्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-रास्व संहिता 1959 विलङ्घ
आदेश दिनांक 07.08.2018 जो व्यायालय आयुक्त, चम्बल सम्भाग,
भुजैना (म.प्र.) (डॉ. एम.के. अग्रवाल) द्वारा प्रकाशन क्रमांक-
0101/अपील/2016-2017 वडावान ओमप्रकाश बनाम म.प्र. शासन
में पारित कियाग या, को अपाप्त किए जाने बाबत्।

श्रीमान् महोदय,

निगराजीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य -

- 1— यहकि, भूमि सर्वे क्रमांक- 448 रकवा 4.75 आरे, स्थित कस्बा सबलगढ़, मुरैना के 0.89 आरे भूमि पर निगरानीकर्ता का विधिवत् आधिपत्य होकर विगत कई वर्षों से कृषि कार्य करता चला आ रहा है तथा विधिवत् रूप से शासन को प्रतिवर्ष लगान अदा करता रहा है। उक्त कृषि भूमि श्री मुरली मनोहर एवम् महादेव मन्दिर से लगी भूमि होवर समवत् 2001 में तत्कालीन मन्दिर माफीदारान भास्कर राव मुख्शी राजे द्वारा उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु निगरानीकर्ता के पूर्वजों को 187 रुपए 50 पैसे लगान पर पट्टे पर दी गई थी। इस प्रकार निगरानीकर्ता के पूर्वज तथा उनके पश्चात् निगरानीकर्ता उक्त भूमि पर उप-कृषक की हैसियत से शासन की जानकारी में काबिज-काश्त होकर खेती कर रहा है तथा

सर्वोच्च न्यायालय अधिकारी
पूछता हुआ कहा कि यह संकेत
क्षमता का उपयोग किया जाए
कि वह आवश्यक नहीं है। यहाँ
उपर्युक्त विवरण दिये गये हैं।

K.K. Computer (9165039794) Old High Court

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5758/2018/मुरैना/भू.रा.

स्थान	दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	05/12/2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजीव रघुवंशी उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने इस आधार पर अपौल निरस्त की है कि पट्टे संहिता के प्रावधान के अनुसार सही नहीं हैं। प्रश्नाधीन भूमि मंदिर मुरली मनोहरजी महादेवजी मंदिर प्रबंधक कलेक्टर मुरैना भूमिस्वामी माफि देवस्थान की भूमि है एवं माफि औकाफ की भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को वैद्यता एवं पट्टा प्रदान नहीं किया जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त तथ्य की पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में की है। तथा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होकर स्थिर रखे जाने योग्य है, जिनमें हस्तक्षेप किए जाने का प्रथम दृष्ट्या कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">(3)</p>	 प्रशासकीय सदस्य